

अनुलग्नक :- 1

मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभाग/अंगीभूत महाविद्यालय/अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शिक्षकों/पदाधिकारियों/शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु जाँच प्रपत्र

विभाग/महाविद्यालय विषय/शाखा

1	नाम :-	
2	पदनाम :-	
3	जन्म तिथि :-	
4	योग्यता :-	
5	सेवा में योगदान की तिथि/नियुक्ति का स्रोत एवं वेतनमान	
6	यदि संबंधित कर्मों की नियुक्ति अनुकम्पा के आधार पर हुई है तो मृत सेवक के विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण संबंधित पत्र की प्रति	
7	स्वीकृत पद (पत्रांक दिनांक विभाग द्वारा अनुमोदित वेतन निर्धारण के पद की संख्या- रिक्त पद संख्या- प्रोन्नत/नियुक्ति के समय रिक्त पदों की संख्या-	
8	वेतन निर्धारण का कारण (वेतन पुनरीक्षण/प्रोन्नति/Date Shifting/न्यायालय का आदेश)	
9	पद का नियुक्ति सम्बन्धी विवरण	
10	नियुक्ति पत्र की तिथि (पत्रांक दिनांक)	
11	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	
12	पीएच०डी० उपाधि की तिथि/वर्ष	
13	प्रोन्नति संबंधी अधिसूचना/प्रोन्नति की तिथि	
14	झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा/कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा/विश्वविद्यालय की अनुशंसा/अल्पसंख्यक महाविद्यालय के शासी निकाय की अनुशंसा (यदि झा०लो०से० आयोग की सहमति प्राप्त हो)।	
15	अभिषद् द्वारा सम्पुष्टि	
16	स्वीकृत वेतनमान	
17	पूर्व में प्राप्त वेतनमान (यदि प्रोन्नति का मामला है)	
18	परिनियत समिति द्वारा वेतन निर्धारण (विहित प्रपत्र में)।	
19	गणना तालिका वेतनमान/ग्रेड पे/ए.जी.पी.	
20	सेवा पुरितका (सत्यापित प्रति)	
21	यदि किसी वाद से संबंधित हो, तो उसकी विवरणी	

प्रमाणित किया जाता है कि जाँच प्रपत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ सही हैं। यदि भविष्य में गलत वेतन निर्धारण पाया जाता है तो उसकी वसूली संबंधित कर्मों से एक मूश्त वसूली की ली जायेगी।

प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची